आवंटन,
आयोजनागत–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001011401

प्रेषक,
निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,
समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
(पार्श्वांकित जनपदों को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

रामपुर
मिर्जापुर
संतरविदासनगर

संख्या– 1/शा0/127 /2011–1/3/2011 : लखनऊः दिनांक– 20 अक्टूबर, 2011

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में सफाई कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत –101–पंचायती राज–14–पंचायती राज संस्थायें–1401– सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक प्रमुख सचिव पंचायतीराज उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1107/33–3–11–100 (41)/2010, दिनांक– 08 अप्रैल, 2011 व शासनादेश संख्या–2862/33–3–11–100 (41)/2010, दिनांक–18 अक्टूबर, 2011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए प्राविधानित धनराशि में से चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में व्यय हेतु आवश्यक धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार **₹ 2441307801/– (₹ दो अरब चौवालीस करोड़ तेरह लाख सात हजार आठ सौ एक मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्ति करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एंव अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। किसी प्रकार के अधिक व्यय के लिये अथवा अनाधिकृत व्यय के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। बजट की किसी भी ऐसी प्राथमिक इकाईयां लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाये जिसके लिये बजट में प्राविधान नहीं है।

2– वेतन भत्ते आदि का आहरण केवल सृजित पदों के सापेक्ष ही किया जाय। नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाये। यह भी ध्यान रहे कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी भी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। आहरण के पूर्व अन्य संगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– सामान्यतः बिना निदेशालय की अनुमति प्राप्त किये कोषागार नियम 27 से कोई आहरण न किया जाये।

4– आवंटित की जा रही धनराशि किसी भी दशा में अग्रिम के रूप में आहरित नहीं की जायेगी।

5– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह बी0एम0–4 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरें जाए तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

कृ0पृ0उ0

6— आहरण वितरण अधिकारी को बजट अगली बार तभी आवंटित किया जायेगा जब उपयुक्तानुसार बी0एम0—4 पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाये।

7— यदि बी0एम0—4 पर सूचना नियमित एवं समयवद्ध रूप से नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगा।

8— यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण—पत्र नोट कराना आवश्यक होगा। धनराशि समर्पित करते समय पर्याप्त औचित्य अवश्य अंकित करें अन्यथा समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9— एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति कर दी जायेगी।

10— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उपमुख्य, लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी। यह भी सुनिश्चत किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो। यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व भासन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

11— वर्तमान स्थिति में शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, विशेष रूप से यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, पेट्रोल तथा टेलीफोन पर व्यय में मितव्ययता अवश्य बरती जाये। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या सी0ए0—934/दस—2008—मित—1/2007 दिनांक 2—9—2008 और समय—समय पर भविष्य में जो जारी किये गये, शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाये ताकि अपव्यय रोका जा सके।

12— व्यय के संबंध में वित्त (आय—व्ययक), अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1—901/दस— 2011—231/11, दिनांक 21 मार्च, 2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13— शासकीय व्यय की मितव्ययिता नितान्त आवश्यक अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सी0ए0—934/दस—2008—मित—1—2007 दिनांक 2—9—2008 का विशेष रूप से पालन किया जाय।

14— उपयुक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या—14 के अधीन लेखाशीर्षक —2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—आयोजनागत—101—पंचायती राज—14—पंचायतीराज संस्थायें—1401— सफाई कर्मचारी के नामे डाला जायेगा।

15— संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

कृ0पृ0उ0

1– कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक।

2– प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 30–11–2011 तक

3– व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15–1–2012 तक

4– वर्ष 2011–12 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 5–2–2012 तक

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0–52 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/127/1 /2011 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।

2– अनुसचिव, पंचायतीराज अनुभाग–3,उत्तर प्रदेश शासन।

3– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4– उपसचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।

5– महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 इलाहाबाद।

6– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।

7–वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।

8– सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।

9–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–1/शा0/127/2011–1/3/2011 दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 का संलग्नक

वर्ष 2011–12

अनुदान संख्या–14) 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–14–पंचायतीराज संस्थायें–1401–सफाई कर्मचारी के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन

आयोजनागत (धनराशि ₹ में)

क0 सं0	जनपद का नाम	(01 वेतन)	(03 मंहगाई भत्ता)	(06 अन्य भत्ता)	योग	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मेरठ	5600062	2856031	504005	**8960098**	34276008
2	बागपत	6012660	3066456	541139	**9620255**	22494785
3	गाजियाबाद	5298043	2702001	476823	**8476867**	34616582
4	गौतमबद्धनगर	4403325	2245695	396299	**7045319**	20178891
5	बुलन्दशहर	11491155	5860489	1034203	**18385847**	66028064
6	सहारनपुर	30908375	15763271	2781753	**49453399**	115858543
7	मुजफ्फरनगर	16968955	8654167	1527205	**27150327**	63724279
8	आगरा	14593251	7442558	1313392	**23349201**	63063143
9	अलीगढ़	19724880	10059688	1775239	**31559807**	74660482
10	हाथरस	10714360	5464323	0	**16178683**	43982637
11	एटा	14175575	7229543	0	**21405118**	57344769
12	मैनपुरी	8687445	4430596	781870	**13899911**	44089213
13	मथुरा	17932030	9145335	1613882	**28691247**	66351848
14	फिरोजाबाद	9126695	4654614	821402	**14602711**	72088139
15	बरेली	38169505	19466447	3435255	**61071207**	141547507
16	बदायू	26327615	13427083	2369485	**42124183**	119334213
17	पीलीभीत	18958005	9668582	0	**28626587**	84756504
18	शाहजहापुर	40967655	20893504	3687088	**65548247**	156689456
19	मुरादाबाद	35939175	18328979	3234525	**57502679**	134120814
20	ज्योतिबाफूलेनगर	17664655	9008974	1589818	**28263447**	74360681
21	रामपुर	0	0	0	**0**	4792002
22	बिजनौर	56251100	28688061	5062599	**90001760**	214175977
23	लखनऊ	10912710	5565482	982143	**17460335**	50523143
24	रायबरेली	17890760	9124287	1610168	**28625215**	83342229
25	हरदोई	29885885	15241801	2689729	**47817415**	134464276
26	उन्नाव	32192985	16418422	2897368	**51508775**	125379783
27	सीतापुर	22967100	11713221	2067039	**36747360**	89333272
28	खीरी	28627755	14600155	2576497	**45804407**	115282541
29	फैजाबाद	18717820	9546088	0	**28263908**	77082795
30	अम्बेडकर नगर	10879302	5548444	979137	**17406883**	82634703
31	सुल्तानपुर	28754010	14664545	2587860	**46006415**	118689663
32	बाराबंकी	21121630	10772031	1900946	**33794607**	106428766
33	गोण्डा	34355975	17521547	3092037	**54969559**	129316423
34	बलरामपुर	18597300	9484623	1673757	**29755680**	71985818
35	बहराइच	24873030	12685245	2238572	**39796847**	99043580
36	श्रावस्ती	7973595	4066533	717623	**12757751**	34703437
37	इलाहाबाद	53305835	27185975	4797525	**85289335**	211015205
38	कौशाम्बी	11965910	6102614	1076931	**19145455**	55328463

क्र0 सं0	जनपद का नाम	(01 वेतन)	(03 मंहगाई भत्ता)	(06 अन्य भत्ता)	योग	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7
39	फतेहपुर	23929160	12203871	2153624	**38286655**	98600191
40	प्रतापगढ़	39263185	20024224	3533686	**62821095**	152439569
41	वाराणसी	17895665	9126789	1610609	**28633063**	81862215
42	चन्दौली	17773095	9064278	1599578	**28436951**	95787100
43	गाजीपुर	33744840	17209868	3037035	**53991743**	194905844
44	जौनपुर	60910770	31064492	5481969	**97457231**	235470521
45	मिर्जापुर	0	0	0	**0**	0
46	सोनभद्र	23861260	12169242	0	**36030502**	93606039
47	संतरविदासनगर	0	0	0	**0**	0
48	हमीरपुर	9759055	4977118	878314	**15614487**	40494646
49	बांदा	6251430	3188229	562628	**10002287**	41119230
50	चित्रकूट	10722025	5468232	964982	**17155239**	42446566
51	महोबा	5633190	2872926	506987	**9013103**	29504673
52	गोरखपुर	51755825	26395470	4658024	**82809319**	220023016
53	महाराज गंज	24199135	12341558	2177922	**38718615**	91432897
54	देवरिया	18547270	9459107	1669254	**29675631**	67267808
55	कुशीनगर	19514865	9952581	1756337	**31223783**	100218271
56	बस्ती	56334850	28730773	0	**85065623**	227547851
57	सन्त कबीर न0	31861870	16249553	2867568	**50978991**	120803399
58	सिद्धार्थ नगर	23323060	11894760	2099075	**37316895**	124852792
59	आजमगढ़	72219925	36832161	6499793	**115551879**	292876234
60	मऊ	21200590	10812300	1908053	**33920943**	94043837
61	बलिया	33064295	16862790	2975786	**52902871**	152024075
62	कानपुर नगर	19446950	9917944	1750225	**31115119**	73605078
63	रमाबाई नगर	10544975	5377937	0	**15922912**	53930691
64	फर्रूखाबाद	17447275	8898110	1570254	**27915639**	70068211
65	कन्नौज	11454915	5842006	1030942	**18327863**	44963747
66	इटावा	12135030	6188865	1092152	**19416047**	46343557
67	औरैया	11110240	5666222	999921	**17776383**	51764806
68	झांसी	11422050	5825245	0	**17247295**	51215924
69	ललितपुर	14765445	7530376	1328890	**23624711**	55161020
70	जालौन	20653380	10533223	1858804	**33045407**	79221208
71	कांशीरामनगर	7091980	3616909	0	**10708889**	34696611
72	छत्रपति शाहू जी महाराजनगर	14708615	7501393	1323775	**23533783**	71842498
	योग	**1535482338**	**783095962**	**122729501**	**2441307801**	

(₹ दो अरब चौवालीस करोड़ तेरह लाख सात हजार आठ सौ एक मात्र)

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ0प्र0।